

कार्यालय-आदेश

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार(संशोधन) अधिनियम, 2017 की कंडिका 5.(3क) एवं दिनांक 15.11.2018 को आयोजित बियाडा निदेशक पर्वद की 55वीं बैठक के अनुपूरक कार्यावली संख्या-01 में लिए गए निर्णय के आलोक में Allotment Surrender Facilitation Policy को निम्नांकित प्रकार से लागू किया जाता है:-

- a. जो इकाई स्थापित हो चुकी है एवं स्थानांतरण नीति में वर्णित शर्तों के आधार पर स्थापित समझा जाये, यदि वे एक्जिट करना चाहती है तो वैसी स्थिति में वह इकाई बियाडा को विहित प्रपत्र (Annex-A) के माध्यम से सूचित करेगी। बियाडा उसे अपने वेबसाईट पर अपलोड करेगी तथा नई इकाई को वह भूमि आवंटित हो जाने पर नये उद्यमी से प्राप्त राशि में से बियाडा का बकाया एवं 15% हस्तांतरण शुल्क तथा 1% सेवा शुल्क काटकर शेष राशि बियाडा पुरानी उद्यमी को भुगतान कर देगी। पूर्व इकाई पर यदि किसी वित्तीय संस्थान/विद्युत कंपनी का बकाया है तो उसका भी देनदारी पूर्व इकाई पर ही होगा। ऐसी स्थिति में नये उद्यमी को भूमि के मूल्य का एकमुश्त भुगतान करना होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय।

प्रबंध निदेशक।

दिनांक..27.11.18.

ज्ञापांक:-5882/2.

प्रतिलिपि:- कार्यकारी निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना/दरभंगा/मुजफ्फरपुर/भागलपुर/तकनीकी परामर्शी/मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी/विधि पदाधिकारी/वरीय लेखा पदाधिकारी/आई0 टी0 शाखा/प्रभारी, प्रबंध निदेशक कोषांग, बियाडा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंध निदेशक।

Allotment Surrender Facilitation Policy में भाग लेने हेतु विहित प्रपत्र

1. औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण का नाम -
2. इकाई का नाम
3. इकाई का स्वरूप-
4. इकाई के सत्वाधिकारी/सभी साझेदारी/सभी निदेशक-
5. आवंटन की तिथि-
6. अगर इकाई का गठन परिवर्तन हुआ है तो उसकी विवरणी-
7. वर्तमान परियोजना-
8. इकाई को आवंटित/हस्तांतरित भूमि का विवरणी
 - रकवा-
 - प्लॉट न0-
9. बियाड़ा का अद्यतन बकाया-
10. वित्तीय संस्थान की देनदारी-(अगर इकाई किसी वित्तीय संस्थान से वित्त पोषित है तो उसकी विवरणी)
 - वित्तीय संस्थान का नाम-
 - ऋण की राशि-
 - ऋण स्वीकृत की तिथि-
 - वर्तमान में ऋण के बकाया किस्त की विवरणी-
11. विद्युत विपत्र बकाया की विवरणी-)
 - अंतिम विपत्र के भुगतान की तिथि-
 - अद्यतन विद्युत विपत्र के बकाया की राशि-
12. आवंटित भूमि पर निर्मित संरचना एवं प्लांट/मशीनरी की विवरणी-
13. इकाई की वर्तमान स्थिति (कार्यरत/बंद/निर्माणाधीन)-
14. इकाई संबंधित किसी भी न्यायालय में वाद दायर है तो उसकी विवरणी-

15. इकाई को आवंटित भूमि का लीज डीड निबंधन हुआ है कि नहीं—
16. इकाई के द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत अनुदान प्राप्त किया गया है या नहीं, अगर प्राप्त किया गया है तो उसकी विवरणी—
 - अनुदान किस मद में प्राप्त किया गया है—
 - अनुदान प्राप्त करने की तिथि—
 - अनुदान की राशि—

आवश्यक अनुलग्नक—

आवंटन पत्र, भौतिक स्वामित्व आदेश, लीज-डीड निबंधन की मूलप्रति (यदि हो), अनुदान संबंधी स्वीकृत्यादेश (यदि प्राप्त किया हो), अद्यतन बिजली विपत्र, कंपनी की स्थिति में निदेशक मंडल की सहमति पत्र, प्रपत्र में अंकित सभी बाते सत्य होने संबंधी शपथ पत्र।